



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 फाल्गुन, 1946 (श०)

संख्या - 108 राँची, मंगलवार, 25 फ़रवरी, 2025 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

25 फ़रवरी, 2025

संचिका सं०-06/एस०पी०टी० (नीति)-08/2025- 508/रा०,--दिनांक-16.01.2025 को माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड (निबंधन को छोड़कर) की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में प्रदत्त निदेश के आलोक में संथाल सिविल रूल्स एवं संथाल परगना जस्टीस रेगुलेशन, 1893 के प्रावधानों को वर्तमान परिपेक्ष में प्रचलन में लाने हेतु प्रसांगिक रहने एवं विधिक पहलुओं पर समीक्षोपरांत प्रतिवेदन समर्पित करने के निमित्त प्रमण्डलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन निम्नवत् रूप से किया जाता है :-

क्र०	नाम/पदनाम	
1	प्रमण्डलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका	अध्यक्ष
2	अपर समाहर्ता, दुमका	सदस्य सचिव
3	अपर समाहर्ता, साहेबगंज	सदस्य
4	अपर समाहर्ता, पाकुड़	सदस्य
5	अपर समाहर्ता, गोड्डा	सदस्य
6	अपर समाहर्ता, जामताड़ा	सदस्य
7	अपर समाहर्ता, देवघर	सदस्य

2. समिति प्रमण्डलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के पत्रांक-11, दिनांक-22.01.2025 में अंकित तथ्यों एवं प्रावधानों का गहन अध्ययन करते हुए वर्तमान में इसकी उपयोगिता एवं प्रासंगिता की समीक्षा करेगी ।

3. गठित समिति संथाल सिविल नियम एवं संथाल परगना न्याय विनियमन, 1893 (Santal Parganas Justice Regulation, 1893) का विस्तृत अध्ययन करते हुए संथाल परगना में प्रचलित पारम्परिक एवं कानूनी न्याय प्रक्रिया का तुलनात्मक विश्लेषण करेगी ।

4. समिति संथाल क्षेत्रों में जनजातीय समिति (Local Tribal Council) के लिए न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता एवं व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए संथाल सिविल कोर्ट एवं ट्रायबल काउन्सिल के मध्य समन्वय स्थापित करने के बिन्दु को भी दृष्टिगत रखेगी ।

5. इस क्रम में समिति संथाल परगना न्याय प्रणाली में विधिक संशोधनों की सम्भावना एवं संथाल परगना के प्रासंगिक कानूनी मुद्दों पर राज्य सरकार के नीतिगत निर्णयों पर भी विचार करेगी ।

6. समीक्षा एवं प्रतिवेदन तैयार करने के क्रम में यथा आवश्यक समिति द्वारा संथाल परगना के पारंपरिक न्याय व्यवस्था के जानकारों एवं परंपरागत स्थानीय सदस्यों के साथ सेमिनार/बैठक आयोजित कर सुझाव प्राप्त किया जाएगा ।

7. संथाल परगना न्याय प्रणाली को वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत बेहतर तरीके से लागू किये जाने के संबंध में समिति संथाल परगना प्रमण्डल अंतर्गत सभी उपायुक्तों से सुझाव प्राप्त करेगी ।

8. संथाल सिविल रूल्स एवं संथाल परगना जस्टीस रेगुलेशन, 1893 के प्रावधानों को वर्तमान परिपेक्ष में प्रचलन में लाने हेतु समिति अपना प्रतिवेदन 30 दिनों के अन्दर विभाग को सुझाव/मंतव्य एवं अनुशंसा सहित समर्पित करेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शशि प्रकाश झा,
सरकार के विशेष सचिव ।
